न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12 / 139 / 2024 रजू दिनांकः24.10.2024 रजि0 न0 2024 / 252

अपीलार्थीः–

श्री सन्तोष मीणा, निवासी जे–77, तीसरा तल, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, इगनू रोड़, नई दिल्ली।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 30.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 09.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू.आई.टी. / आर.टी.आई / 2024 / 9145–46 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी ने आवेदन क्रमांक 5043 / 23.08.2024 के द्वारा पांच बिन्दुओ के संबंध में सूचना चाही गई थी, जिसके क्रम में बिन्दु संख्या 1 व बिन्दु सं0 3 के क्रम में परिवादी को न्यास के पत्रांक अलवर / विधि / 2024 / 230 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है। बिन्दु सं. 2 व बिन्दु सं. 5 के क्रम में मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। बिन्दु सं. 4 के क्रम में प्रश्नगत पत्रावली में वर्ष 2013 में अंकित मौका रिपोर्ट तत्कालीन कनि0 अभि0 श्री पुनित माथुर के द्वारा की गई थी। वर्तमान मे उक्त कार्मिक न्यास में कार्यरत नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंग्नक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के द्वारां वांछित सूचना के संबंध में न्यास कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 व बिन्दु सं. 3 के क्रम में पत्रांक 230 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा तथा शेष सूचना पत्रांक 9145–47 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा उपलब्ध कराई जाकर वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)